रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2014/कार्तिक 26, 1936
No. 597] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2014/KARTIKA 26, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 810(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 533(अ), तारीख 24 जुलाई, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, तारीख 24 जुलाई, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (17वां संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 47 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) 1 जनवरी, 2015 से ही प्रत्येक यान निर्माता प्ररूप 20, प्ररूप 22 और प्ररूप 22क के अनुसार यान के ब्यौरों को https://www.vahan.nic.in/makermodel/ पोर्टल पर अपलोड करेगा ।"।

3. मूल नियमों के नियम 49 को नियम 49 के उप नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी यान के जिसके अंतर्गत कृषि ट्रेक्टर, पावर टिलर और संनिर्माण उपस्कर यान भी हैं के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् यान के रजिस्ट्रीकरण ब्यौरों को https://www.vahan.nic.in/makermodel/ पोर्टल पर अपलोड करेगा:

परंतु मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए पोर्टल के माध्यम से ऐसी आंकड़ा प्रविष्टि प्रसंस्करण 1 फरवरी, 2015 से प्रभावी होगी:

परंतु यह और कि राज्य सरकारें विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया की पद्धति को 1 अक्तूबर, 2015 तक जारी रख सकेंगी । " ।

4. मूल नियमों के नियम 126ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"126ग. इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से ही, नियम 126 में विनिर्दिष्ट जांच अभिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार यान किस्म अनुमोदन के संबंध में सूचना को https://www.vahan.nic.in/makermodel/ पोर्टल पर अपलोड करेंगी:

परंतु जांच अभिकरण 1 जनवरी, 2013 से 17 नवम्बर, 2014, तक की अवधि के लिए (वह तारीख विनिर्दिष्ट करें, जिसको यह अधिसूचना प्रकाशन के लिए भेजी गई है) किस्म अनुमोदन के लिगेसी डाटा की प्रविष्टि भी करेगी । " ।

[फा. सं. आरटी-11036/48/2014-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून,1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 709(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2014 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2014.

G.S.R. 810(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 533(E), dated the 24th July, 2014 in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th July, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (7th Amendment) Rules, 2014.

(2) Save as otherwise specifically provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules) in rule 47**,** after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) On and from the 1st January, 2015, every vehicle manufacturer shall, in accordance with Form 20, Form 22 and Form 22-A, upload the vehicle details in the portal https://www.vahan.nic.in/makermodel/".

3. Rule 49 of the principal rules shall be numbered as sub-rule (1) of rule 49 and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) Every registering authority shall after registration of a vehicle, including agricultural tractor, power tiller and construction equipment vehicles, upload the registration details of the vehicle on the portal https://www.vahan.nic.in/makermodel/:

Provided that such data entry processing through the portal for registration of motor vehicles shall be effective from the 1st February, 2015:

Provided further that the State Governments may continue the practice of existing registration procedure till the 1st October, 2015.".

4. After rule 126 B of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely,-

"126C. On and from the date of final publication of this notification, the testing agencies specified in rule 126 shall, in accordance with the procedure laid down by the Central Government, upload information regarding vehicle type approval on the portal https://www.vahan.nic.in/makermodel/ :

Provided that the test agencies shall also enter the legacy data of type approvals for the period from the 1st January, 2013 till the ."

[F. No. RT-11036/48/204-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. 709(E) dated the 8th October, 2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.